न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00183 (105/11) 75 एलआरएक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ

.– अपीलान्ट

बनाम

जगीरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति रायसिख सा0 पक्की, जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, टिब्बी, दिनांक 15.12.2010

प्रकरण संख्या 263/10 बअनवानी जगीरसिंह बनाम सरकार

उपस्थितः–

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक – 12.7.22

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष चक 2 एस0बी0एन0 के प0नं0 224/205 कि0नं0 12 व प0नं0 225/206 कि0नं0 4 ता 7 की कुल 1.265 है0 भूमि कस्टोडियन विभाग से आवंटित होने पर उक्त भूमि की सनद जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के उक्त आवेदन पत्र के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरान्त उक्त भुमि का रेस्पो0 के हक में अपीलाधीन आदेश के जरिये खातेदारी दिये जाने का

राजस्व अपील अधिकारी (राज.) हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एवं राष्ट्रपति भारत सरकार शब्द को कलमजन किये जाने का आदेश जारी किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि पर अपना कब्जा होने एवं जमाबंदी में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर खातेदारी सनद जारी किये जाने का निवेदन किया, परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे मूल आवंटी को भूमि आवंटित किया जाना सिद्ध नहीं था। इसके अलावा मूल आवंटी की अगर कोई राशी बकाया थी तो वह खजानाराज में जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई एवं ना ही मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कतई विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए थे विद्वान अधिवक्ता ने मियाद बिन्दु पर कथन किया कि माननीय जिला कलक्टर कार्यालय से विधि परीक्षण के बाद पत्र प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से राय कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया एवम् विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

5. पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण होना अधिक श्रेयष्कर होना दृष्टिगत रख मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने तथा उसका खण्डन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रस्तुत नहीं होना दृष्टिगत रख न्यायहित में डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

6. जहां तक गुणवगुण का प्रश्न है मुताबिक जमावन्दी संवत 2064 से 67 चक 2 एसवीएन की 1.265 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में जंगीर सिंह वल्द सोहन सिंह के नाम अलॉटी रा. प. भारत सरकार दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट को बतौर अलॉटी रा. प. भारत सरकार अलॉट हुई थी जिसकी किश्तें जमा नहीं करवाने पर रकबे को रिज्यूम किया गया था और इस भूमि की काश्त व्यवस्था तहसीलदार द्वारा की जाती थी। रेस्पोडेण्ट/मूल आवंटी द्वारा स्वयं को आवंटित उक्त भूमि की समस्त राशि जमा करवाने के उपरान्त विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार दिये हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रूटि/अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.12.2010 यथावत रखा जाता हैं । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8. निर्णय आज दिनांक 12.7.23 ....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

12/7/23

(करतार सिंह पूनियाँ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़